पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

हरे राम यादव

बनाम

बिहार राज्य

(2019 की आपराधिक आवेदन (ख.पी.) सं. 237)

20 अगस्त 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार और माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

क्या एक महिला की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि, प्राथमिकी भेजने में देरी, स्वतंत्र गवाहों की कमी, कथित संपत्ति विवाद और जांच में कमियों को देखते हुए, कानून की दृष्टि से टिकने योग्य है।

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता, 1860 – धारा 302 – हत्या – संबंधित गवाहों की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि – स्वतंत्र साक्ष्य के अभाव के बावजूद स्वीकार्यता –

न्यायालय ने माना कि मृतक के पति अ.सा. 5 की गवाही विश्वसनीय और चिकित्सा साक्ष्य के अनुरूप पाई गई। हालांकि किसी स्वतंत्र गवाह की जांच नहीं की गई, लेकिन कानून संबंधित गवाहों पर भरोसा करने पर रोक नहीं लगाता है, अगर उनकी गवाही अन्यथा विश्वसनीय है। न्यायालय ने माना कि मृतक के साथ केवल संबंध ही गवाहों को अविश्वसनीय नहीं बनाता है। [कंडिका 19, 31–32, 54]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – प्राथमिकी भेजने में देरी – घातक नहीं जब घटना और शिकायत समय के करीब हों –

माना गया कि दंडाधिकारी को भेजने में देरी हुई (लिखित रिपोर्ट 09.11.2015 को दर्ज की गई, 19.11.2015 को समर्थन किया गया), प्राथमिकी घटना के दिन ही दर्ज की गई थी। मेडिकल और पुलिस साक्ष्यों से यह स्थापित हुआ कि घटना सुबह 10:00 बजे हुई और प्राथमिकी शाम 4:00 बजे दर्ज की गई, जिससे मनगढ़ंत आरोप लगाने का बचाव खारिज हो गया। [कंडिका 22–29]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 3 – हितबद्ध साक्षियों की गवाही – ग्राह्यता – शत्रुता बदनामी का आधार नहीं है जब तक कि यह साबित न हो जाए कि वह मिथ्या आरोप का कारण बनती है –

अभियोजन पक्ष ने सही तर्क दिया कि दुश्मनी अपराध करने के लिए उतनी ही प्रेरणा हो सकती है, जितनी कि झूठा फंसाने के लिए। न्यायालय ने स्वीकार किया कि जहां बयान सुसंगत और चिकित्सकीय रूप से पुष्ट हैं, वहां पारिवारिक संबंध साक्ष्य के मूल्य को कम नहीं करते [कंडिका 52–54]

आपराधिक कानून – जांच – घटिया या दोषपूर्ण जांच – दोषसिद्धि पर प्रभाव –

माना गया कि, हालांकि जांच में खामियां थीं - हथियार की कोई बरामदगी नहीं हुई, किसी स्वतंत्र गवाह की जांच नहीं हुई, खून के धब्बे नहीं मिले - लेकिन इससे अभियोजन पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। न्यायालय का कर्तव्य है कि वह साक्ष्यों की अधिक सावधानी से जांच करे, न कि पूरे मामले को खारिज कर दे। [कंडिका 49–51, 55–56]

चिकित्सा साक्ष्य - शव परीक्षण अभियोजन का समर्थन करता है - चाकू के घाव के कारण मृत्यु का कारण मौखिक साक्ष्य की पुष्टि करता है -

मेडिकल साक्ष्यों से छाती पर एक छेदने वाले घाव की पुष्टि हुई, जिससे फेफड़े क्षतिग्रस्त हो गए और रक्तस्रावी झटका लगा। मृत्यु के 24 घंटे के भीतर किए गए पोस्टमार्टम ने अभियोजन पक्ष के उस कथन की पुष्टि की कि नुकीले हथियार से तत्काल घातक चोट पहुंचाई गई थी। [कंडिका 45–46]

न्याय दृष्टान्त

रामाशीष राय बनाम जगदीश सिंह , **(2005) 10 एससीसी 498 – लागू**; सुभाष चंद्र बनाम राज्य , **2001 आपराधिक लॉ जर्नल 3969 (एस सी) - पर भरोसा किया गया**; धरणीधर बनाम यूपी राज्य , **(2010) 7 एससीसी 759 – लागू**; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्ण गोपाल , **एआईआर 1988 एससी 2154 – संदर्भित**; लाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य , **(2003) 12 एससीसी 554 – लागू**

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

मुख्य शब्दों की सूची

धारा 302 भारतीय दंड संहिता; संबंधित गवाह; प्राथमिकी में देरी; घटिया जांच; चश्मदीद गवाह की गवाही; संपत्ति विवाद; दुश्मनी;शव परीक्षण पुष्टि; चाकू से चोट; पारिवारिक हिंसा

प्रकरण से उत्पन्न

मांझी थाना वाद संख्या 221/2015 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 167/2016 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-एक्स, सारण द्वारा पारित दिनांक 30.01.2019 का निर्णय और दिनांक 31.01.2019 को सजा का आदेश।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री नचिकेता झा,अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री शिवेश चंद्र मिश्रा, स.लो.अ.

रिपोर्टर द्वारा हेड नोट तैयार किया गया: आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 का आपराधिक आवेदन (ख.पी.) सं. 237

थाना मामला सं.-221 वर्ष-2015 थाना-मांझी जिला-सारण से उत्पन्न

==========

हरे राम यादव, पिता-स्वर्गीय सुरेश यादव , निवासी- गाँव-गोरा, थाना-मांझी, जिला-सारण।

..... अपीलकर्ता/ओं

बनाम्

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री नचिकेता झा,अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री शिवेश चंद्र मिश्रा, स.लो.अ.

==========

कोरमःमाननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

मौखिक निर्णय

(द्वारा - माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

तारीखः20-08-2024

श्री नचिकेता झा, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान सहायक लोक अभियोजक को सुना।

2. एकमात्र अपीलकर्ता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया है विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या X, सारण द्वारा दिनांक 30.01.2019 को पारित निर्णय के अनुसार, 2016 का सत्र विचारण संख्या 167, 2015 का जी.आर. वाद संख्या 6322, जो 2015 के मांझी थाना वाद संख्या 221से उत्पन्न हुआ था। दिनांक 31.01.2019 के आदेश द्वारा, उसे आजीवन कारावास और 10,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वाक्य में कोई डिफ़ॉल्ट खंड प्रदान नहीं किया गया है।

3. आरोप है कि एक हेवंती देवी की अपीलकर्ता ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। अपीलकर्ता मृतक का रिश्तेदार है। मृतक के पति ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, रंगलाल यादव (अ.सा.5) अपनी लिखित रिपोर्ट में, जिसे अनिल यादव (जांच नहीं की गई) ने लिखा है, अ.सा. 5 ने आरोप लगाया है कि अपीलकर्ता ने अपने घर के सामने ईंटों के ढेर को

हटाए जाने से नाराज होकर मृतक के साथ लड़ाई शुरू कर दी। इसके बाद वह उसे चाकू मारकर फरार हो गया। पीड़ित (मृतक) को मोहम्मदपुर के एक निजी डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां से मरीज को पीएचसी, मांझी रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

4. जैसा कि लिखित रिपोर्ट में बताया गया है, घटना का कारण पुराना भूमि विवाद है जो परिवार में विभाजन के बाद सामने आया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि इससे पहले, अपीलकर्ता पर अ.सा. 5 के चचेरे भाई की हत्या का भी आरोप लगाया गया था। जिस मामले में उसे दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी और इस घटना के समय वह जमानत पर बाहर था।

5. उपर्युक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर, 2015 का मांझी थाना वाद संख्या 221 दिनांक 09.11.2015 अपीलकर्ता के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 के तहत जांच के लिए दर्ज किया गया था।

6. पुलिस ने जांच के बाद उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया और मामला सुनवाई के लिए चला गया।

7. विचारण न्यायालय ने डॉक्टर और जांचकर्ता सहित अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों से पूछताछ करने के बाद अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और उपरोक्त के अनुसार सजा सुनाई।

8. विद्वान अधिवक्ता श्री झा ने निर्णय पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया और इस मामले में अपीलकर्ता को तैयार करने के लिए अ.सा. 5 के लिए प्रेरक कारक पर ध्यान देने में विफल रहा।

9. अपीलकर्ता और मृतक एक ही घर में रहते थे लेकिन अलग-अलग परिवार में। उसमे एक आम आंगन था। उन्होंने आगे आग्रह किया है कि 09.11.2015 पर दर्ज की

गई लिखित रिपोर्ट दस दिनों के बाद यानी 19.11.2015 पर, संहिता के आदेश के खिलाफ प्रकाश में आई कि इस तरह की प्राथमिकियां न्यायिक अधिकारी को तुरंत भेजी जानी चाहिए।

10. श्री झा ने तर्क दिया है कि इस तरह की देरी ने अभियोजन पक्ष के बयान में गंभीर सेंध लगाई है और वास्तव में, यह इस प्रस्ताव का समर्थन करता है कि अपीलकर्ता को पारिवारिक संपत्ति में अपना दावा करने से रोकने के लिए परामर्श के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

11. यह मानते हुए कि अपीलकर्ता के परिवार के किसी अन्य सदस्य की हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने के बारे में जानकारी पहले सच थी, यह भी तथ्यों के वर्तमान में अपीलकर्ता के खिलाफ मामला नहीं बनाता है क्योंकि अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन करने के लिए किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति की जांच नहीं की गई है। विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की एक विशिष्ट याचिका पर भरोसा किया है कि हत्या के एक मामले में पहले दोषी ठहराए जाने के कारण कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति अपीलकर्ता के खिलाफ गवाही देने के लिए आगे नहीं आ रहा था। यह इस कारण से सही नहीं लगता है कि अन्वेषण कर्ता/ प्रभाकर पाठक (अ.सा.7) ने अपनी प्रति परिक्षण में बहुत स्पष्ट रूप से खुलासा किया है कि मृतक के परिवार के सदस्यों के अलावा, उन्होंने कभी भी ग्रामीणों या स्वतंत्र व्यक्तियों में से किसी से भी पूछताछ करने का विकल्प नहीं चुना।

12. इस प्रकार पूरे अभियोजन मामले पर टिप्पणी करते हुए, श्री झा ने तर्क दिया है कि जांच घटिया है और शायद पुलिस ने भी अ.सा. 5 के साथ मिलकर जांच को समाप्त करने और अपीलकर्ता को मुकदमे के लिए भेजने में एक संक्षिप्त दृष्टिकोण अपनाया।

13. श्री झा के तर्क का दूसरा अंग यह है कि हमले का हथियार बरामद नहीं किया जा सका।

14. अपीलकर्ता को 19.12.2015 पर सिवान जिले के एक अलग स्थान से उस घर से गिरफ्तार किया गया था जिसमें उसकी शादी हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है, यह तर्क दिया गया है कि, क्योंकि पारिवारिक संपत्ति के अन्य सह-भागीदार अपीलकर्ता को सामान्य संपत्ति से हटाने में सफल रहे थे। सामान्य संपत्ति से, उन्हें अपने ससुराल में शरण लेनी पड़ी। इसके अलावा, यदि घटना अ.सा. 5 के घर के सामने और कई व्यक्तियों की उपस्थिति में हुई होती, तो यह बिल्कुल असंभव था कि अपीलकर्ता को घटना स्थल से भागने की अनुमति दी गई होती।

15. यह भी तर्क दिया गया है कि 10.12.2015 पर शव परिक्षण जांच के दौरान, डॉ. चंदेश्वर सिंह (अ.सा.6) को सिलवाए गए घाव मिले। यह अनुमान लगाया जाता है कि मृतक की मृत्यु से पहले उसका इलाज किया गया था। यह अभियोजन पक्ष की कहानी को बहुत संदिग्ध बनाता है, यह तर्क दिया गया है, क्योंकि मोहम्मदपुर में, निजी डॉक्टर ने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया और उसे मांझी पीएचसी ले जाना पड़ा। अ.सा. 5 के संस्करण के अनुसार, मृतक की दस मिनट के भीतर मृत्यु हो गई। मृतक की चोटों के इलाज के लिए समय नहीं था। यह शव परीक्षण परीक्षा में पाए गए पट्टी वाले घावों के संबंध में अभियोजन पक्ष के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं छोड़ता है।

16. इन आधारों पर, यह आग्रह किया गया है कि अभियोजन पक्ष ठीक से तैयार नहीं किया जा सका, जिससे अपीलकर्ता को आरोपों से बरी किया जा सके।

17. राज्य द्वारा जवाबी दलीलें इस हद तक दी गईं कि अपीलकर्ता को पहले परिवार के किसी अन्य सदस्य की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और वह जमानत पर था। यह ग्रामीणों को गवाह के सामने आने और उसके खिलाफ गवाही देने से डराने के लिए पर्याप्त कारण था।

18. अभियोजन पक्ष की ओर से यह आग्रह किया गया है कि गवाहों के बयान में मामूली विसंगतियां उन्हें अविश्वसनीय नहीं बनाती हैं।

19. यह घटना सुबह 10 बजे हुई 09.12.15 पर, जब परिवार के सदस्यों के घर पर रहने की पूरी संभावना हो। कानून अच्छी तरह से तय किया गया है कि केवल इसलिए कि गवाह मृतक या सूचना देने वाले से निकट संबंध रखते हैं, उन्हें आवश्यक रूप से ऐसे व्यक्तियों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जो सच्चाई के साथ सामने नहीं आते हैं और अभियुक्त के अभियोजन में रुचि रखते हैं। यदि उनका बयान विचारण न्यायालय के समक्ष विश्वसनीय हो, वे दोषसिद्धि और सजा का आधार बना सकते हैं।

20. यह सच है कि राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अपराध का हथियार बरामद नहीं किया जा सका, लेकिन फिर जांचकर्ता के मुंह से एक उचित स्पष्टीकरण है कि उसे पता चला कि अपराध का हथियार, अर्थात्, खंजर को एक तालाब में फेंक दिया गया था जब आरोपी सुरक्षित स्थान पर पीछे हट रहा था। शव परिक्षण रिपोर्ट और अ.सा. 6 के साक्ष्य स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि मृतक की मौत चाकू की चोटों के कारण हुई थी। भले ही अन्य गवाह कुछ समय बाद घटना स्थल के पास आए, अ. सा. 5 का साक्ष्य, जो मृतक का पति है, दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए, विचारण अदालत के फैसले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

21. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमे में किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति से पूछताछ नहीं की गई है, हमने मामले की जड़ तक जाने वाली किसी भी विसंगति का पता लगाने के प्रयास में गवाहों के बयान को बहुत विस्तार से देखा है। और अभियोजन पक्ष के मामले पर भरोसा करना मुश्किल बनाता है।

22. हमने देखा है कि यह घटना सुबह 10 बजे हुई थी 09.11.2015 पर और लिखित रिपोर्ट उसी दिन लगभग शाम 4 बजे दाखिल की गई घटना स्थल से दूरी, जो अपीलकर्ता के घर के सामने है और अ.सा. 5 के भी, 16 कि. मी. है।

23. हम कानून की स्थिति से अवगत हैं कि 24 घंटे के भीतर एक दर्ज की गई प्राथमिकी निकटतम न्यायिक दंडाधिकारी को भेजी जानी चाहिए। विद्वान मुख्य न्यायिक

दंडाधिकारी द्वारा 19.11.2015 पर प्राथमिकी का समर्थन करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है।

24. इसके बावजूद, हम श्री झा के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि केवल इस देरी के कारण, अभियोजन पक्ष के मामले को रद्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह अभियोजन पक्ष के संस्करण में लगभग अनियंत्रित भ्रांति छोड़ता है और यह तर्क देने की गुंजाइश देता है कि देर से परामर्श के बाद ही लिखित रिपोर्ट दायर की गई थी, जिसमें अपीलकर्ता को अपराध के एकमात्र अपराधी के रूप में नामित किया गया था जो उसे पारिवारिक संपत्ति पर कोई हिस्सेदारी बढ़ाने से रोकने के साथ-साथ उसे ऐसी संपत्ति से हमेशा के लिए बेदखल करने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करेगा जिसमें उसकी भी हिस्सेदारी है।

25. हम ऐसा इस कारण से कहते हैं कि प्राथमिकी के प्रेषण में देरी के बावजूद, घटनाओं का सुझाए गए संयोजन अभियोजन संस्करण के पूरे प्रक्षेपण में फिट बैठता है।

26. घटना के तुरंत बाद, पीड़ित को मोहम्मदपुर में एक निजी डॉक्टर के पास ले जाया गया। एक निजी डॉक्टर के पास इस तरह की यात्रा के बारे में रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर अन्वेषण कर्ता ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि जब अ.सा. 5 पीड़ित के साथ, जो तब भी जीवित था, मांझी थाना आया, तो उन्हें आगे के इलाज के लिए मांझी पीएचसी जाने का निर्देश दिया गया। यह इस तथ्य को साबित करता है कि घटना के बाद पुलिस को इसके बारे में पता चला।

27. हमारा मानना है कि अगर मांझी के पुलिस दल को घटना के बारे में सूचित किया गया होता, तो आम तौर पर वहां मामला दर्ज किया जाना चाहिए था।

28. थाना के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में या पीड़ित को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए पुलिस पक्ष की चिंता के संबंध में कुछ विवाद हो सकता था।

मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, चूंकि पीड़ित को मांझी पीएचसी ले जाया गया था, जहां उसका इलाज किया गया था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस घटना की शिकायत अ.सा. 5 ने अपनी लिखित रिपोर्ट में की है, वह वास्तव में अपीलकर्ता के हाथों हुई थी। दुर्भाग्य से मृतक हमले में बच नहीं सका और उसी रात उसकी मौत हो गई।

29. हालाँकि, जाँच रिपोर्ट से, ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु पहले ही शाम के 3 बजे हो चुकी थी। मृत्यु के इस समय से सुराग लेते हुए, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता द्वारा मृतक की हत्या करने की जानकारी लगभग आधे घंटे के भीतर शाम के 4:15 बजे थाना में पहुंच गई इन घटनाओं में कोई देरी प्रतीत नहीं होती है ताकि बचाव पक्ष के प्रस्ताव को विश्वास दिलाया जा सके, जो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को प्राथमिकी विवरण भेजने में देरी से मजबूत हुआ, कि वहाँ लिखित रिपोर्ट दर्ज करने से पहले कुछ परामर्श और विचार-विमर्श किया गया था।

30. अब गवाहों के लिए।

31. हम पहले अ.सा. 5 के साक्ष्य पर चर्चा करना अधिक उचित समझते हैं। उन्होंने अभियोजन पक्ष के बयान का पूरी तरह से समर्थन किया है और अपीलकर्ता द्वारा अपनी पत्नी पर खंजर से हमला करने के इस तरह के दुस्साहस का सहारा लेने के कारण के बारे में विस्तार से बताया था। अपीलकर्ता के घर के सामने ईंटों का ढेर ले जाया गया था, जिससे वह नाराज था। उसने मृतक को गालियाँ देना शुरू कर दिया, जो उसकी नज़र में आ गया जब वह अपना गुस्सा ज़ाहिर कर रहा था। उसी क्षण उसने अपना चाकू निकाला और मृतक की छाती में छेद कर दिया।

32. अ.सा. 5 ने परिवार के एक अन्य वरिष्ठ सदस्य की हत्या के लिए अपीलकर्ता की पूर्व दोषसिद्धि का भी उल्लेख किया है। उन्होंने परिक्षण न्यायालय को पूरी वंशावली तालिका प्रदान की है, जो केवल अभियोजन पक्ष के सदस्यों के साथ उनके रिश्तेदार की पुष्टि करती है।

33. विशेष रूप से पूछताछ किए जाने पर, उन्होंने खुलासा किया कि अपीलकर्ता के पिता द्वारा दो बिक्री विलेख निष्पादित किए गए थे; एक उनके पक्ष में और दूसरा बिद्या सागर यादव (अ.सा. 4) के पक्ष में। उन्होंने स्वीकार किया कि उप-न्यायाधीश के समक्ष सं. 70/1990 वाला एक स्वामित्व वाद लंबित है। उन्हें यह भी सुझाव दिया गया था कि शायद इस तरह के बिक्री विलेख अपीलकर्ता के पिता से तब प्राप्त किए गए थे, जब वह स्वस्थ मानसिक स्थिति में नहीं थे; इस सुझाव का उनके द्वारा जोरदार खंडन किया गया था।

34. बिक्री-विलेखों को कभी-कभी 1990 और 1991 के बीच यानी घटना से लगभग 15 साल पहले निष्पादित किया जाता था। अ.सा. 5 द्वारा अपीलकर्ता को गलत तरीके से फंसाने का यही कारण नहीं होता।

35. इस तरह के प्रस्ताव पर एक बड़ा सवालिया निशान है।

36. क्या बचाव पक्ष यह सुझाव दे रहा है कि अपीलकर्ता को फंसाने के लिए मृतक को जानबूझकर मार दिया गया था?

37. ऐसा प्रतीत नहीं होता।

38. मृतक की चोटों को स्पष्ट रूप से तेज नुकीले हथियार के कारण माना गया है, जो चोट विशेष रूप से केवल अपीलकर्ता को लगी है।

39. यदि अभियोजन पक्ष ने जो कहा है वैसा नहीं है, तो मृतक की मृत्यु कैसे हुई?

40. यह वह प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर अपीलकर्ता को देना है और मामले को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया जाना है। लेकिन फिर, प्राथमिकी भेजने में देरी की परवाह किए बिना, हम पाते हैं कि अ.सा. 5 के बयान में घटनाओं को ठीक से दर्ज किया गया है और उनके बारे में बात की गई है।

41. मृतक की बहू के बारे में कुछ संदेह है। लीलावती देवी (अ.सा.1) ने घटना को देखा। हालाँकि वह इस घटना की चश्मदीद गवाह होने का दावा करती है, लेकिन प्रति

परिक्षण के दौरान उसके खुलासे से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब उसने पहली बार अपनी सास को देखा था, तो उसे पहले ही चाकू के घाव हो चुके थे और खून बह रहा था। लेकिन फिर, उनके बयान में इस विचलन को इस तथ्य से समझाया जाता है कि पक्ष एक ही घर में रहते थे और इस बात की पूरी संभावना है कि घर के प्रत्येक सदस्य उस समय बाहर आए हों, जब अपीलकर्ता गुस्से में था।

42. धनू कुमार यादव (अ.सा.2) इस घटना को देखने के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हैं। हम उसके सातवीं कक्षा के छात्र होने और उसके स्पष्ट रूप से सामने नहीं आने के कारण भी उसके साक्ष्य को खारिज करते हैं कि क्या उसने अपीलकर्ता को मृतक पर हमला करते देखा था।

43. हालाँकि, घटना स्थल में और घटना के समय मृतक के बेटे धनंजय कुमार यादव (अ.सा. 3) की उपस्थिति उसकी पत्नी/अ.सा. 1 के बयान से साबित होती है, जिसने पुष्टि की है कि जब वह बाहर आई और अपनी सास को खून बहते देखा, तो उसका पति (अ.सा. 3) वहाँ मौजूद था।

44. बिद्या सागर यादव (अ.सा.4) प्राथमिकी के सह-हस्ताक्षरकर्ता हैं और अ.सा.5 के साथ अस्पताल गए थे। वास्तव में, उन्होंने जाँच पर भी हस्ताक्षर किए थे। यह हमें बिना किसी संदेह के छोड़ देता है कि वह पूरे समय मौजूद थे। उस पर विश्वास करना मुश्किल है।

45. अब चिकित्सा गवाही की विशिष्टताओं पर आते हैं।

46. हम अ.सा. 6 के बयान को विस्तार से देख चुके हैं। उन्होंने 10.11.2015 पर 08.10 अपराहन पर शव परीक्षण किया था। उन्हें दाहिने स्तन के निचले हिस्से में एक टांकेदार घाव मिला था, जिसकी लंबाई 1x1/2 "थी। टांके हटाने पर, उन्हें एक भेदक/चीरा हुआ घाव मिला था जो गुहा में गहरा था। विच्छेदन पर, दाहिने तरफ की छाती की गुहा खून से भरी हुई पाई गई। दाहिने फेफड़े में एक और घाव था। इस घाव का प्रभाव दाहिने फेफड़े

का छिद्रण था जो ऊपर उल्लिखित घाव से मेल खाता है। अ.सा. 6 की राय में मृत्यु पूर्व उल्लिखित चोटों और फेफड़े जैसे महत्वपूर्ण अंग को नुकसान के कारण रक्तस्राव और सदमे के कारण हुई थी, जो किसी भी नुकीले हथियार के कारण हुई थी। मृत्यु के लिए शव परीक्षण परीक्षा के समय से 12 से 24 घंटे का समय निर्धारित किया गया था, जो अभियोजन पक्ष के बयान के साथ लगभग पूरी तरह से फिट बैठता है।

47. कुछ समय के लिए, हमें इस बात पर संदेह हुआ कि मृतका को उसकी मृत्यु से पहले कब चिकित्सा सहायता प्रदान की गई थी। चूँकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की जाँच नहीं की गई है, इसलिए हमारे पास कोई और आधार नहीं है, सिवाय इसके कि जाँच अधिकारी के बयान के कि उनके कहने पर और बेहतर इलाज के लिए, मृतका को, जीवित रहते हुए भी, मांझी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया था।

48. जाँच रिपोर्ट से पता चलता है कि मृत्यु उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे के बीच हुई है। चूंकि मांझी थाना और अस्पताल घटना स्थल से ज़्यादा दूरी पर स्थित नहीं हैं, इसलिए यह बहुत असंभव प्रतीत होता है कि मृतक को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह रक्तस्राव के कारण न्यूरोजेनिक सदमे से बच नहीं सकी।

49. यह कहने के बाद, हमें हालांकि यह दर्ज करना चाहिए कि जांचकर्ता ने अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं किया। उन्होंने केवल घटना स्थल का निरीक्षण किया, लेकिन स्वतंत्र व्यक्तियों या अपीलकर्ता और मृतक के अन्य पड़ोसियों से घटना के बारे में पूछताछ करना बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं माना। अन्वेषण कर्ता को भी अपनी पहली यात्रा पर घटना स्थल में खून के धब्बे नहीं मिले।

50. यह कानून की नजर में कोई जांच नहीं है।

51. केवल इस आधार पर अभियोजन पक्ष के संस्करण को अस्वीकार करना केवल हमारी नादानी को प्रतिबिंबित करेगा, विशेष रूप से जब अन्य घटनाओं का समय गवाहों की मौखिक गवाही से मेल खाता है।

52. अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य का आकलन करते समय, हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय का यह मानना सही था कि यह लगभग अप्रामाणिक है कि शत्रुता एक दोधारी तलवार है जो गलत निहितार्थ के साथ-साथ अपराध करने का भी आधार हो सकती है।

53. सुप्रीम कोर्ट के फैसले **रामाशीष राय बनाम जगदीश सिंह (2005) 10 एस. सी. सी. 498** और **सुभाष चंद्र बनाम राज्य (2001) अपराध विधि पत्रिका, 3969 (सर्वोच्च न्यायालय)** पर भरोसा करते हुए, ऐसी परिस्थिति में, न्यायालय पर एक कर्तव्य डाला गया है कि वह उचित सावधानी और परिश्रम के साथ शत्रुतापूर्ण गवाहों की गवाही की जांच करे और केवल शत्रुता चश्मदीद गवाहों की गवाही को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि दर्ज की गई थी।

54. **धरणीधर बनाम यू. पी. राज्य और अन्य में (2010) 7 एस. सी. सी. 759,** में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है कि परिवार के सदस्य कभी भी घटना के सच्चे गवाह नहीं हो सकते हैं और वे हमेशा न्यायालय के समक्ष झूठ बोलेंगे। यह सब किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इच्छुक गवाहों के साक्ष्य से निपटने के दौरान किसी भी पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण को लागू करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के साक्ष्य को केवल इसलिए नजरअंदाज या खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह पीड़ित से निकट संबंध रखने वाले व्यक्ति से आता है।

55. इसी तरह, घटिया जाँच के प्रभाव के संबंध में भी कई केस कई मामले दर्ज हैं। अन्वेषण कर्ता द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण जांच या लापरवाही अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं बना सकती है।

56. इस तरह के एकतरफा जांच में, अदालतों द्वारा सावधानी के साथ साक्ष्य का मूल्यांकन करके अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।

57. इन सभी कारणों से, हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय अपीलकर्ता को आरोप के लिए दोषी ठहराने और उसे सजा देने में पूरी तरह से उचित है। हम वाक्य को भी निंदनीय पाते हैं।

58. हम, इस प्रकार, विचारण न्यायालय की राय का समर्थन करते हैं और इस अपील को खारिज करते हैं।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

कृष्णा/ज्योति

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।